



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 4fc2dbe19b8a659d637d

Receipt Date : 02-Nov-2020 01:13:56 pm

Receipt Amount : 92000/-

Amount In Words : Ninety Two Thousands Rupees Only

Token Number : 20200000093763

Office Name : SRO - Chatra

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MUSKAN KHANDELWAL (Vendee)

GRN Number : 2002591137



For Office Use

30,000/- Chatra

92,000/-

120,000/-

90,000/-

50

110

90004

31/11/20

जिला अधिकारी चतरा

भारतीय प्रमाण अधिनियम 1899 की अनुसूची के अन्तर्गत

मुद्रांक शुल्क से विमुक्त

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस स्टाम्प का उपयोग इस दस्तावेज के अलावे अन्य किसी में नहीं की है।



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : de852412c3d4b7af1401

Receipt Date : 03-Nov-2020 01:57:09 pm

Receipt Amount : 28000/-

Amount In Words : Twenty Eight Thousands Rupees Only

Token Number : 20200000093763

Office Name : SRO - Chatra

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MUSKAN KHANDELWAL (Vendee)

GRN Number : 2002611453



-: For Office Use :-

आर जी खिबेरी

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

लेख्यकारी

श्रीमती आरती द्विवेदी, पति-श्री अनिल कुमार द्विवेदी,
जाति-ब्राह्मण, कान्यकुब्ज राष्ट्रीय-भारतीय, पेशा-गृहणी,
निवास स्थान-साकिन मौजा-टिकारी महल्ला, तिताई गंज
पोस्ट वो थाना-टेकारी, जिला-गया (बिहार)।

पैन नं०-GPMPD6369L

लेख्यधारी

मुस्कान खण्डेलवाल, पिता-आलोक कुमार खण्डेलवाल,
जाति-मारवाड़ी, राष्ट्रीयता-भारतीय, पेशा-कास्तकारी, निवास
स्थान साकिन कस्बे-चतरा, मारवाड़ी मुहल्ला थाना वो
जिला-चतरा (झारखण्ड)। पैन नं०-JYKPK0088P

लेख्यप्रकार

केवाला वैयला कलामी (विक्रय पत्र)

जरसम्मन सम्पति का मूल्य-30,00,000 /-

(तीस लाख) रूपये रू० मात्र।

तय भू-सम्पति का विवरण प्रुख्मपव्व

मवाजी 06 डीसमील (छः डीसमील) जमीन आवासीय हकियत
रैयती कायमी खरीदगी केवाला वाके मौजा-नगवां, अंदर
नगरपालिका वार्ड नं०-09, प्रगना-अहुरी, थाना-चतरा थाना
नं०-182, सब रजिस्ट्री वो जिला-चतरा, तौजी नं०-28, हाल
खेवट नं०-01 के अंदर खाता, प्लॉट, रकबा, मधे रकबा
निम्नांकित है :-

1. अनिल कुमार द्विवेदी द्वारा R.T.G.S. 9.0.8. 9 बैंक के द्वारा
श्रीमती आरती द्विवेदी को 2300000. में इस लाख रकम
खरीद पत्र के अंतर्गत 30 लाख रू० पाई। आरती द्विवेदी 2.11.2020
700000 का खाता
वि. नं० 2020

| खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा | मधे रकबा |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 22 (बाईस) | 1117 ग्यारह सौ सतरह) | 0-13 डी० (तेरह डी०) | 0-3 $\frac{1}{2}$ डी० (तीन पूर्णांक एक बटा दो डी०) |
| 22 (बाईस) | 1123 (ग्यारह सौ तईस) | 0-49 डी० (उनचास डी०) | 0-2 $\frac{1}{2}$ डी० (दो पूर्णांक एक बटा दो डी०) |

उक्त भूमी का माप

उत्तर से दक्षिण लम्बाई 104 फीट 6 ईंच
पुरब से पश्चिम चौड़ाई 25 फीट है।

चौहद्दी एकजाय-

उ०-पक्का नगरपालिका रोड ————— द०-तापेश्वर दुबे

प०-10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता ————— प०-लक्ष्मी राम।

जमा खाता-एक जमा प्लॉट दो, जमा बिक्री रकबा दोनो
प्लॉट से मवाजी-06 (छः डी०) जमीन वाके है।

नाम मालिक झारखण्ड सरकार अंचल-चतरा

मालगुजारी मो०-10 पैसा अलोवे शेष।

यह कि विक्रय विलेख में वर्णित भूमि लेख्यकारी के
हकियत रैयती कायमी बजरीये खरीदगी केवाला नविस्ते
तापेश्वर दुबे बनाम बहक लेख्यकारी आरती द्विवेदी के नाम
से खरीदगी है जिसका बुक नं०-01, भोलुम नं०-102, पेज

आरती द्विवेदी

2.11.2020

पहले जमा बिक्री रकबा दोनो प्लॉट से मवाजी-06 (छः डी०) जमीन वाके है।
जमा बिक्री रकबा दोनो प्लॉट से मवाजी-06 (छः डी०) जमीन वाके है।

नं०-161 से 165 वसिका डीड नं०-5349 ब तारीख-
21.09.2005 ई० से चतरा रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है
जिसपर लेख्यकारी आरती द्विवेदी, खरीदगी तारीख से उक्त
जमीन जायदाद पर कायम काबिज रहकर खाश खरीदगी
रकबा का जमीन हु-ब-हु, बिक्री करती है, उक्त भूमि का
मांग पंजी लेख्यकारी आरती द्विवेदी के नाम से अंचल
कार्यालय चतरा में नामांकित है जिसपर प्रति वर्ष राजस्व
अदाय कर राजस्व रसीद लेख्यकारी के नाम से रजिस्टर II
के भोलुम नं०-06, पेज नं०-05 से निर्गत हो रहा है।

यह कि लेख्यकारी को रूपये का सख्त आवश्यकता
अपने निवास स्थान ग्राम टेकारी में जमीन लेने के लिए तथा
घर बनाने के आवश्यकता रहने के वजह से लेख्यकारी
उक्त जमीन जायदाद वाजिब बाजार भाव मो०-
30,00,000/- (तीस लाख) रूपये में बिक्री के बात-चित
तय कर लेख्यधारी के पास बिक्री किये वो कुल बिक्री तय
रकम मे चेक के माध्यम से पाये वो लेख्यकारी तय मूल्य
पाकर लेख्यधारी के नाम से केवाला वैयला कलामी हाजा
लिख लिखवा कर रजिस्ट्री कार्यालय में तामील तहरीर
एकरार किये वो कुल बिक्री रकबा के जमीन पर मालिक
मुस्तकिल लेख्यधारी को बनाये वो जाने अब उक्त जमीन
जायदाद पर जिस तरह से लेख्यधारी यानी खरीदार अच्छा
समझे अपना मशरफ भोग तसरुफ में लावे भूमि पर घर
मकान बनावें, बाग-बगिचा लगावें, जमीन पर खेती- गृहस्थी
करावें या स्वयं करें या भविष्य में भूमि पर जिस प्रकार का
कार्य करें या जो भी मुनासीब समझें करें इसमें अब

आरती द्विवेदी

५. 11. 2020

रजिस्ट्री ऑफिस
चतरा

लेख्यकारी को या वीशान लेख्यकारी को या अन्य किसी शक्स कोई उजुर-एतराज नहीं है वो न भविष्य में कभी होगा।

यह कि जमीन बिल्कुल पाक वो साफ है, किसी प्रकार नुक्स खलल वारदैन या ऋणभार का नहीं है किसी प्रकार वारदैन या ऋणभार पाया जाने पर कुल जावबदेही देनदारी हर्जाना के साथ लेख्यकारी को देना होगा।

यह कि जरसम्मन का कुल तय रकम मो०-30,00,000/- (तीस लाख) रूपये लेख्यकारी एक मुस्त चेक के माध्यम से वसुल पा गये है खरमोहरा जिम्मे बाकी लेख्यकारी का नहीं रहा वो न आइन्दा कभी जरसम्मन बावत लेख्यधारी से दावी करेगें।

इसलिए लेख्यकारी अपनी खुशी राजी स्वेच्छा से बनाम खरीदार सदर के वसिका केवाला-वैयला-कलामी विक्रय लिख दिया कि वक्त पर काम आवे।

आज तारीख 28 माह अक्टुबर सन् 2020 ई०।

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का वर्तमान श्रेणी आवासीय है इसके अनुसार मुद्रांक शुल्क दिया गया है।
2. खतियान के अनुसार भूमि रैयती है तथा आदिवासी खाते की नहीं है।
3. भारत या राज्य सरकार या किसी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहित नहीं है।
4. किसी भी धार्मिक स्थल/निकाय की भूमि नहीं है।

आरती टुवरी

21/10/20

5. छोटानागपुर, कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्ग विक्रेता की जाति-ब्राह्मण प्रतिबंधित सूची (BC-51, ST-32, SC-21) के अन्तर्ग नहीं है।
6. भूमि के हस्तांतरण/बिक्री पर किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय, के द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं है।
7. उक्त भूमि किसी भी सरकारी श्रेणी, प्रतिबंधित श्रेणी या वन सीमा के अन्तर्गत नहीं है, गोचर भूमि नहीं है तथा सीलिंग से मुक्त है।
8. किसी भी सार्वजनिक स्थल के रूप में व्यवहार में नहीं है।
9. भूमि भूदान की नहीं है तथा हस्तांतरणीय है।
10. केवाला के साथ सभी अनुलग्नक मेरे द्वारा सत्यापित है।
11. विक्रेता/क्रेता द्वारा भूमि सत्यापन कर लिया गया है, तथा भूमि से संबंधित सभी कागजात की जाँचोपरांत पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
उपरोक्त सभी कथन सत्य है, विसंगति या त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में पक्षकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

आरती देवी

श्री. श्री. देवी शिवा देवकी



आरती द्विवेदी



ता २०-२० ०५

मि. सुविम खण्डादा




Muskan Kh.



आरती द्विवेदी

२. 11. 2020



Rabinchandra Prasad Guleri
प्रारूपकर्ता

कम्प्यूटरीकृत
प्रशांत बनर्जी
कार्ड गैलेरी, चतरा।

प्रमाणित किया जाता है कि
हस्ताक्षर में लेखकारी
के द्वारा उक्त प्रमाणित
हस्ताक्षर पर उक्त प्रमाणित
हस्ताक्षर